

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी०क०एस० भवन परिसर,
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक ५८०६३ / प्रोजेक्ट / संचिशि / 2022
प्रति,

रायपुर, दिनांक १५/३/२०२२

संचालक,
सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग को बी.एस.सी.-40 सीट, जी.एन.एम.-40 सीट्स, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.-40 सीट एवं एम.एस.सी.नर्सिंग-30 सीट के विद्यार्थियों को क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के उपयोग की अनुमति।

संचालनालय एतदद्वारा सांदीपनी एकेडमी, अछोटी दुर्ग को बी.एस.सी.-40 सीट, जी.एन.एम.-40 सीट्स, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.-40 सीट एवं एम.एस.सी.नर्सिंग-30 सीट के विद्यार्थियों को क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. संबद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित मापदण्ड अनुरूप प्रति 10 छात्र एक ट्यूटर/क्लीनिकल प्रशिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।
2. अस्पताल द्वारा समय-समय पर जारी/निर्धारित नियम/अनुशासन/प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी उक्त ट्यूटर/क्लीनिकल प्रशिक्षक एवं संबंधित संस्था की होगी।
3. अभ्यर्थियों को अस्पताल द्वारा निर्धारित वर्दी (UNIFORM) में ही समर्त प्रशिक्षुओं को प्रवेश की पात्रता होगी। उक्त वर्दी पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा।
4. समर्त संकाय प्रशिक्षक एवं अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने तक संस्था द्वारा जारी तथा अस्पताल द्वारा सत्यापित फोटो पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा।
5. (अ) संबद्ध निजी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु सुरक्षा निधि राशि रूपये 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) संबंधित रोगीकल्याण समिति/सुरक्षा निधि/स्वशासी समिति/जीवनदीप समिति के खाते में जमा करनी होगी। साथ ही सुरक्षा निधि की राशि तीन वर्ष पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जाएगी।
(ब) संबद्ध निजी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु अनुमति शुल्क रु. 200/- (रु. दो सौ मात्र) पाठ्यक्रमानुसार, प्रतिसीट, प्रतिमाह, प्रतिवैच, प्रतिछात्र, प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि संबंधित रोगी कल्याण समिति/स्वशासी समिति/जीवनदीप समिति के खाते में जमा करनी होगी।

6. अनुबंध अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु द्वारा की गई क्षति की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी नर्सिंग महाविद्यालय की होगी। क्षतिपूर्ति का आंकलन/राशि का निर्धारण अस्पताल द्वारा किया जायेगा जो कि अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा वह राशि जमा करना होगा जमा न करने की स्थिति में उक्त क्षतिपूर्ति की राशि का सुरक्षा निधि से कटौती की जायेगी।
7. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षु छात्रों को प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग की सेवा में नियुक्त किया जाना एवं प्राथमिकता दिया जाना प्रावधानित नहीं होगा।
8. अनुबंध में संबंधित महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा प्रशिक्षु छात्रों को प्रदाय किये जाने वाले समस्त सामाग्री का उल्लेख किया जायेगा अनुबंध में प्रथम पक्ष की ओर से संस्था प्रमुख/संचालक तथा द्वितीय पक्ष की ओर से अस्पताल अधीक्षक अथवा सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुबंध में हस्ताक्षर किया जायेगा।
9. दोनों पक्षों को अनुबंध में निहित समस्त बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध मुक्ति हेतु एक माह का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।
10. उक्त अनुमति आदेश 1 अप्रैल 2022 से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। तदउपरांत पुनः अनुमति हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि शासन स्वयं का महाविद्यालय प्रारंभ करना चाहे तो एक माह की सूचना पर अनुमति वापस ली जाएगी।
11. किसी भी समय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु/क्लीनिकल प्रशिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित को अस्पताल प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी तथा इसका उल्लंघन होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
12. भारतीय परिचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित पाली अनुरूप यथा प्रातः/अपरान्ह/रात्रिकालीन पाली में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
13. प्रथम एवं द्वितीय पाली प्रत्येक पांच घंटे की तथा तृतीय पाली (रात्रिकालीन) दस घंटे की निम्नानुसार होगी। पॉलीयों में सप्ताहिक आवर्तन (ROTATION) किया जायेगा।

पाठ्यक्रम		बी.एस.सी.नर्सिंग	
स.क्र.	वर्ष	पाली	समय
1	प्रथम वर्ष	प्रथम पॉली	प्रातः: 8:00 बजे से 1:00 तक
2	द्वितीय वर्ष	प्रथम पॉली	प्रातः: 8:00 बजे से 1:00 तक
3	तृतीय वर्ष	तृतीय पॉली (अपरान्ह)	अपरान्ह 2:00 बजे से 7:00 तक
		प्रथम पॉली	प्रातः: 8:00 बजे से 1:00 तक
4	चतुर्थ वर्ष	प्रथम पॉली (प्रातः)	प्रातः: 8:00 बजे से 1:00 तक
		द्वितीय पॉली (अपरान्ह)	अपरान्ह 2:00 बजे से 7:00 तक
		तृतीय पॉली (रात्रिकालीन)	रात्रि 8:00 बजे से 6:00 तक
5	इन्टर्नशीप	प्रथम पॉली	प्रातः: 8:00 बजे से 2:00 तक
		द्वितीय पॉली	अपरान्ह 2:00 बजे से 8:00 तक
		तृतीय पॉली (रात्रिकालीन)	रात्रि 8:00 बजे से 8:00 तक

14. कुल प्रशिक्षण अवधि (घंटे)
- (अ) बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष हेतु 450 घंटे पाली आवर्तन अनुसार 68 दिनों में पूर्ण।
- (ब) बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष हेतु 720 घंटे पाली आवर्तन अनुसार 108 दिनों में पूर्ण।
- (स) बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष हेतु 810 घंटे पाली आवर्तन अनुसार 135 दिनों में पूर्ण।
- (द) बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष हेतु 180 घंटे पाली आवर्तन अनुसार 27 दिनों में पूर्ण।
- (इ) बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष इन्टर्नशीप हेतु 1100 घंटे पाली आवर्तन अनुसार 138 दिनों (08 घंटे प्रतिदिन) में पूर्ण।
15. एम.एस.सी. एवं पोस्ट बेसिक (बी.एस.सी. नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु ड्यूटी रोस्टर अनुसूची-1 के अनुसार होगा।
16. जी.एन.एम. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु ड्यूटी रोस्टर अनुसूची-2 के अनुसार होगा।
17. पॉली में अंतराल की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी।
18. दैनिक उपस्थिति बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा दर्ज की जायेगी। उपस्थिति पंजी पर संबंधित इकाई की परिचर्या प्रभारी (Sister in Charge) तथा मासिक पंजी पर अस्पताल अधीक्षक के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। क्लीनिकल प्रशिक्षण की उपस्थिति तृतीय पाली (रात्रिकालीन) में अनिवार्य होगी तथा प्रशिक्षु द्वारा किये जाने वाले समस्त दायित्वों के लिये उक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
19. प्रत्येक माह सावधिक (Periodical) पश्चात् कौशल का आंकलन अस्पताल द्वारा किया जायेगा। आंकलन समिति में विभागीय शिक्षक, अन्य संस्था की एक वरिष्ठ परिचर्या संकाय तथा संबंधित संस्था की परिचर्या संकाय समिलित होंगे।
- अ. निम्नलिखित विभागों से कोई एक सहायक प्रोफेसर/विशेषज्ञ
1. मेडिसीन विभाग
 2. सर्जरी विभाग
 3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग
 4. शिशुरोग विभाग
- ब. अन्य संस्थान के वरिष्ठ नर्सिंग फैकल्टी।
- स. उसी संस्थान की नर्सिंग फैकल्टी।
20. क्लीनिकल प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं का सप्ताहिक मौखिक परीक्षा आयोजित की जायेगी।
21. प्रशिक्षण की अवधि में यथा आवश्यक वृद्धि प्रशिक्षु के न्यूनतम वांछित कौशल अर्जित नहीं किये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा।
22. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रशिक्षण में आवर्तन प्रत्येक दस माह में किया जायेगा।

23. यदि संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय को संबद्धता भारतीय परिचर्या परिषद्/पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, ४०८० द्वारा निरस्त की जाती है तो अनुबंध स्वमेव समाप्त माना जायेगा।
24. सभी छात्र अच्छा आचरण करेंगे तथा अनैतिक कार्यों में संलग्न नहीं रहेंगे तथा अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई भी गोपनीय सूचना प्रचारित प्रसारित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देंगे।
25. छात्रों को महाविद्यालय से अस्पताल लाने ले जाने की जिम्मेवारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
26. छात्रों को अस्पताल के सभी नियम/निर्देश/विनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. शासकीय चिकित्सालयों में जिन शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर (छ.ग.) द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। उक्त अनुमति आदेश में संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर ४०८० द्वारा रोस्टर में जो समय एवं माह नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित किया जाएगा, उसका पालन करना संबंधित शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को करना अनिवार्य होगा।

Vch/We 20/04/22
संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक
प्रतिलिपि :-

/ प्रोजेक्ट / संचिशि / 2022

रायपुर, दिनांक / / 2022

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. कुल सचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष विश्वविद्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, रायपुर।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर।
6. लेखा शाखा, रोगी कल्याण समिति, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित संस्था से बी.एस.सी नर्सिंग, एवं जी.एन.एम., पोस्ट बेसिक, एम. एस.सी.नर्सिंग चार पाठ्यक्रमों का प्रति सीट प्रतिमाह, प्रतिबैच, प्रतिछात्र की दर से वार्षिक शुल्क संबंधित संस्था से प्राप्त करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6. स्टाक फाईल।

//
संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़